

**उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय  
अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009  
(201..... - 201.....)**

**(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)  
एवं  
सेवारत न होने का घोषणा-पत्र**

01. श्री/श्रीमति/सुश्री.....(माता-पिता/अभिभावक का पूर्ण पता) .....  
.....(विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेश) .....  
.....(संस्था का नाम) .....

संस्था में प्रवेश लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

02. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है, समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।

03. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग में दोषी पाया जाता है, किसी तरह की रैगिंग के लिये किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।

04. मैं शपथ पूर्वक यह निश्चय करता हूँ कि :-

(क) मेरे पुत्र/पुत्री किसी तरह की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।

(ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूंगा/दूंगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

05. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

06. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

07. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री.....जिसका प्रवेश आपके महाविद्यालय की कक्षा.....में है। वह सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी प्रतिष्ठान में सेवारत नहीं है यदि कहीं सेवारत पाया जाता है तो उसका महाविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

दूरभाष नं० :

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय  
अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009  
(201....- 201....)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)  
एवं  
सेवारत् न होने का घोषणा-पत्र

01. मैं.....कक्षा.....महाविद्यालय.....  
..... का संस्थागत छात्र/छात्रा हूँ।
02. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने रैगिंग  
निषेध की विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से  
पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग  
रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
03. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है, समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
04. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिये किसी को उकसाता हूँ  
या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
05. मैं निश्चित पूर्वक यह प्रयत्न करूंगा/करूंगी कि :-  
(क) किसी की रैगिंग जो धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूंगा/लूंगी।  
(ख) किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा/लूंगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।
06. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूंगा/लूंगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी।
07. यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया / पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के  
अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध  
दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
08. मैं यह घोषित करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया  
गया है और यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
09. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी प्रतिष्ठान में सेवारत् नहीं हूँ, यदि प्रवेश उपरान्त  
मैं कहीं सेवारत् पायी/पाया जाता हूँ तो महाविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

पिता/अभिभावक  
हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/नगरपालिका सभासद  
हस्ताक्षर  
(मुहर सहित)

छात्र/छात्रा  
हस्ताक्षर

दूरभाष नं०.....

मोबाईल.....